न्यायालय राजस्व अपील पाधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/220

लक्ष्मीचन्द आत्मज पन्नालाल जाति तेली निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

–अपीलांट

बनाम

1. रामकरण आत्मज गोपाल जाति मेघवाल निवासी नयापुरा हाल मुकाम ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 184/2020 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कमोलर तहसील साँगोद में खसरा नं0 478 की 0.15 हैक्टर चाही द्वितीय लगानी 4 रूपया 5 पैसा स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम कमोलर संलग्न है। उक्त भूमि के सहारे पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में अप्रार्थी लक्ष्मीचंद के खाते की ख० नं0 323 की 1.24 हैक्टर भूमि लगी हुई है जिसका नजरी नक्शा तथा सरकारी नक्शा लट्ठा भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी परिगणित पिछड़ी जनजाति मेघवाल समाज का काफी गरीब एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसका उक्त खाते की आराजी पर कृषि कार्यों हेतु वर्षभर आवागमन करने का 15 फुट चौड़ा रास्ता कमोलर से डाबरीकलां जाने वाली आम सड़क में प्रार्थी के खेत तक कायम चला आ रहा है, किन्तु अप्रार्थी ने सवर्ण जाति का काफी लड़ाकू एवं धनाढ्य व्यक्ति होने से गत वर्षों से प्रार्थी को उक्त रास्ते की भूमि उसके खाते की ख० नं० 323 की भूमि होना बताकर प्रार्थी का उक्त खेत तक आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी की उक्त चाही भूमि गत कुछ वर्षों से पड़त पड़ी हुई है। प्रार्थी ने उक्त संबंध में हल्का पटवारी कमोलर से भी कुछ गवाहान् के समक्ष दिनांक 20/04/2017 को मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर

अम्बेडकर छात्रावास की दीवार के सहारे उक्त भूमि में से 15 फुट चौड़ाई की जगह रास्ते हेतु छुड़वाकर उक्त भूमि के बदले अप्रार्थी लक्ष्मीचंद को अपने खाते की ख० नं0 478 की भूमि में से उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे की 2 मीटर चौड़ी भू–पट्टी अप्रार्थी के ख० नं0 323 में मिला दी गई है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा पुनः बदनियतिपूर्वक प्रार्थी को आम सड़क से अपने खाते की ख० नं0 478 तक भूमि तक छात्रावास की दीवार के सहारे की 15 फुट चौड़ाई में कायम रास्ते से आवागमन नहीं करने दे रहा है, जबकि प्रार्थी ने उक्त रास्ते क भूमि पर कुछ ट्राली पत्थर डाल रखे है। इसी कारण से उक्त भूमि रास्ते के अभाव में पड़त पड़ी हुई है। प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन करने का कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को उसके खाते की ख० नं० 323 की भूमि में से ख० नं0 478 से आम सड़क तक 50 फुट लंबी गुणा 15 फुट चौड़ी भूमि को प्रार्थी परिगणित वैसा जाति के सदस्य के खाते की भूमि को रास्ते की भूमि के बदले ख० नं० 323 की भूमि में न मिलाना चाहे तो भी प्रार्थी अपने खेत के रास्ते के लिये अप्रार्थी के खाते की ख० नं0 323 की भूमि में से उक्त 50 गुणा 15 वर्ग भूमि को 251 (क) रा०टी०एक्ट के प्रावधानों मुताबिक छुड़वाकर अप्रार्थी को उक्त भूमि की डी.एल. सी. रेट की दुगुनी राशि भुगतान करने को तत्पर है। कानूनन उक्त प्रकार से प्रार्थी के खाते की ख० नं० 478 की भूमि तक स्थायी रास्ता कायम हो जाने पर उक्त विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा। अप्रार्थी प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के ध्येय से प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण आशय से रास्ते हेतु परेशान करके वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा जमाने को तत्पर है, इसलिये प्रार्थी के लिये उक्त संबंध में धारा 251 'क' रा०टी०एक्ट के प्रावधानों मुताबिक कार्यवाही कर राजस्व रेकार्ड में स्थायी रास्ता कायम कराना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी को तलब कर नियमानुसार अप्रार्थी नं0–2 तहसीलदार सॉंगोद से जर्ये सर्किल कानूनगो मौका रिपोर्ट तलबकर उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने खाते की ख० नं0 478 की ग्राम कमोलर तह० सॉंगोद में स्थित 0.15 हैक्टर भूमि पर कृषि कार्यों हेतु हमेशा आवागमन के लिये अप्रार्थी के खाते की ख० नं0 323 की 1.24 हैक्टर भूमि में से अम्बेडकर छात्रावास कमोलर की उत्तरी सड़की की दीवार के सहारे सहारे 15 फुट चौड़ाई में अपने खाते की ख० नं0 478 की 0.15 हैक्टर भूमि तक की भूमि धारा 251 'क' रा०टी०एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग में लाने की आज्ञा फरमाई जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की अप्रार्थी के खाते से खारिज कर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु तहसीलदार सॉंगोद को आदेशित किया जावें। उक्त रास्ते की भूमि के बाबत् प्रार्थी नियमानुसार न्यायोचित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी को भुगतान करने के तत्पर है।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.07.2024 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 323 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट

संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना अधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से शून्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि के सम्बन्ध मे धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट कम–1 की आबादी भूमि के लिये रास्ते का आदेश दिया है, जो क्षेत्राधिकार के अभाव मे शून्य है, तथा कृषि भूमि के रास्ते के सम्बन्ध मे ही धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होते है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इसी न्यायालय द्वारा पूर्व मे अपील संख्या–2021/237 निर्णय दिनांक 16.05.2022 मे पेरा नम्बर–11 मे दिये गये रिमाण्ड निर्देश मे नियम 69 के अनुसार भू–अभिलेख या उपर के अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार कर पुनः नियमानुसार निर्णय दिया जावे, जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करने की अपीलाण्ट को सूचना तक नही दी, तथा ना ही अपीलाण्ट को मौका देखने की जानकारी है। बिना अपीलाण्ट को सूचित किये, एक तरफा मौका देखा है, जिसे अपीलांट स्वीकार नहीं करता, तथा नियम 69 के अनुसार रिपोर्ट नही होने से निर्णय अवैध है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के रिमाण्ड निर्देश की पालना नही की, इस न्यायालय के निर्णय मे स्पष्ट निर्देश दिये थे कि रास्ते की चौड़ाई की आवश्यकता व ओचित्य का ध्यान रखकर नियमानुसार निर्णय देना था। जबकि रेस्पोण्डेन्ट की भूमि जो आबादी भूमि है, तथा 0.15 हैक्टयर है, यानि पूरी एक बीघा भी नहीं है, तथा भूमि आबादी की है, जिससे इस सम्माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किये बिना निर्णय दिया है, जो अवैध है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब का मौका दिये जवाब बन्द किया है, जबकि दिनांक 20.06.2022 को वकालत नामा पेश करने पर अगली तारीख रिपोर्ट में थी, बिना रिपोर्ट आये जवाब बन्द कर दिया, तथा मौका रिपोर्ट की नकल तक नही दी। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 323 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.07.2024 पारित किया गया है

जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2023(1) पेज 548 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 478 वाके ग्राम कमोलर तहसील सांगोद में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम कमोलर की खाता संख्या 282 की खसरा संख्या 478 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि रामकरण पुत्र गोपाल हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त जमाबंदी में भूमि वर्गिकरण के कॉलम में गै.मु. आबादी दर्ज है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज प्रश्नगत खसरा नम्बर 478 की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन आबादी भूमि है। इसी जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 में नामान्तरकरण संख्या 1323 दिनांक 21.12.2021 रूपान्तरकरण का अंकन है। अतः प्रश्नगत खसरा नम्बर 478 की भूमि दिनांक 21.12.2021 को खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1323 के द्वारा गै.मु. आबादी में दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत किया गया है जो गैर मुमकिन आबादी के नामान्तकरण की दिनांक 21.12.2021 के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत खसरा नम्बर 478 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही गैर मुमकिन आबादी में दर्ज हो चुकी थी। अधीनस्थ न्याायलय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 7 में की गई प्रार्थना इस प्रकार है- "अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी को तलब कर नियमानुसार अप्रार्थी नं0-2 तहसीलदार साँगोद से जर्ये सर्किल कानूनगो मौका रिपोर्ट तलबकर उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने खाते की ख० नं0 478 की ग्राम कमोलर तह० साँगोद में स्थित 0.15 हैक्टर भूमि पर कृषि कार्यों हेतु हमेशा आवागमन के लिये अप्रार्थी के खाते की ख० नं0 323 की 1.24 हैक्टर भूमि में से अम्बेडकर छात्रावास कमोलर की उत्तरी सड़की की दीवार के सहारे सहारे 15 फुट चौड़ाई में अपने खाते की ख० नं0 478 की 0.15 हैक्टर भूमि तक की भूमि धारा 251 'क' रा०टी०एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग में लाने की आज्ञा फरमाई जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की अप्रार्थी के खाते से खारिज कर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु तहसीलदार साँगोद को आदेशित किया जावें। उक्त रास्ते की भूमि के बाबत् प्रार्थी नियमानुसार न्यायोचित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी को भुगतान करने के तत्पर है।" अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में स्वयं के खाते दर्ज खसरा नम्बर 478 की भूमि पर कृषि कार्यों हेतु हमेशा आवागमन के लिये अप्रार्थी के खाते की खसरा नम्बर 323 की भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है अतः हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत खसरा नम्बर 478 की भूमि पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन की कोई आवश्यकता होना प्रकट नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार रास्ते का अनुतोष कानूनी रूप से

अपील संख्या 2024/220

लक्ष्मीचन्द बनाम रामकरण, सरकार

केवल कृषि भूमि में आने जाने के प्रयोजन हेतु ही प्रदान किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आबादी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.5.2022 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 478 की आबादी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 184/2020 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 निरस्त किया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा